25/1/23 पत्रावली पेश हुई। चूंकि उक्त प्रार्थना पत्र से संबाधित वाद को आदम हाजरी आदम पैरवी मे खारिज किया जा चुका है। ऐसी स्थिति मे न्यायालय उक्त प्रार्थना पत्र को आगे जैरकार रखना उचित नही समझता है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। निर्णय आज दिनांक 25-01-2023 को सरे इजलास सुनाया गया।